

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, दिनांक, जून 1, 2017

सा0का0नि0 (अ) - भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 15/2017 - सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 3 मई, 2017, के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, सा0का0नि0 (अ) 433 दिनांक 3 मई, 2017 में -

- i. सारणी में पृष्ठ संख्या 4, 5 और 6 में स्तंभ (2) में "5404 11 00" के स्थान पर "5404 11 00, 5402 44 00 या 5402 69 90", पढा जाए;
- ii. सारणी में पृष्ठ संख्या 5 और 6 में क्रम संख्या 6, 15, 18 और 21 में स्तंभ (5) में "कोई" के स्थान पर "विषयगत देश के अलावा अन्य कोई देश" ;
- iii. सारणी में पृष्ठ संख्या 5 में क्रम संख्या 5, 14, 17 और 20 में स्तंभ (6) में "कोई" के स्थान पर "विषयगत देश के अलावा अन्य कोई देश" ।

(फा.सं.354/231/2016-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार